FIRST INFORMATION REPORT
Under Section 173 B.N.S.S.

(प्रथम सूचना रिपोर्ट)
अंतर्गत धारा 173 बी. एन. एस. एस.

1. **District (जिला):** ACB DISTRICT **P.S. (थाना):** C.P.S Jaipur **Year (वर्ष):** 2026

2. **FIR No. (प्र.सू.रि.सं):** 0108 **Date and Time of FIR (एफआईआर की तिथि/समय):** 01/05/2026 17:26 बजे

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धाराएँ)
1	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)	7
2	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)	7A
3	भारतीय न्याय संहिता (बी एन एस), 2023	61(2)

3. (a) **Occurrence of offence (अपराध की घटना):**

1. **Day(दिन):** दरमियानी दिन **Date From (दिनांक से):** 27/04/2026 **Date To (दिनांक तक):** 29/04/2026

Time Period (समय अवधि): पहर **Time From (समय से):** 13:30 बजे **Time To (समय तक):** 16:25 बजे

(b) **Information received at P.S. (थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई):** **Date (दिनांक):** 01/05/2026 **Time (समय):** 16:00 बजे

(c) **General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ) :** **Entry No. (प्रविष्टि सं.):** 001 **Date & Time (दिनांक एवं समय)** 01/05/2026 17:26:30 बजे

4. **Type of Information (सूचना का प्रकार):** लिखित

5. **Place of Occurrence (घटनास्थल):**

1. (a) **Direction and distance from P.S. (थाने से दिशा और दूरी):** NORTH-EAST, 74 किमी **Beat No. (बीट सं.) :** NOT APPLICABLE

(b)**Address(पता):** KRISHNA CONSTRUCTION AND ENGINEEYARS,SHOP NO.4,NAGARPALIKA, ATRU KE PASS JILA BARAN

(c **In case, outside the limit of this Police Station, then (यदि थाना सीमा के बाहर हैं तो)**

Name of P.S (थाना का नाम): **District(State) (जिला (राज्य)):**

6. **Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):**

(a) **Name(नाम):** ANIL MEENA

(b) **Father's Name (पिता का नाम):** BADRILAL

(c) **Date/Year of Birth (जन्म तिथि/ वर्ष):** 01/01/2003 **(d)Nationality(राष्ट्रीयता):** INDIA

(e) **UID No(यूआईडी सं.):**

(f) **Passport No. (पासपोर्ट सं.):**
Date of Issue (जारी करने की तिथि): **Place of Issue (जारी करने का स्थान):**

(g) **Id details (Ration Card,Voter ID Card,Passport,UID No.,Driving License,PAN) (पहचान विवरण(राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र,पारपत्र,आधार कार्ड सं,ड्राइविंग लाइसेंस,पैन)):**

S.No.	Id Type	Id Number

(h) **Occupation (व्यवसाय):**

(i) **Address(पता):**

S.No. (क्र. सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	वर्तमान पता	LAXMIPURA, ATRU, ATRU, BARAN, RAJASTHAN, INDIA
2	स्थायी पता	LAXMIPURA, ATRU, ATRU, BARAN, RAJASTHAN, INDIA

(j) **Phone number (दूरभाष न.):** **Mobile (मोबाइल न.):**

7. **Details of known/suspected/unknown accused with full particulars (ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्त का पुरे विवरण सहित वर्णन):**

Accused More Than(अज्ञात आरोपी एक से अधिक हो तो संख्या):

S.No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Address (पता)
1	AJAY SINGH		पिता:BHAIRU SINGH	1. PANWAR MOD AMBAPURA COLONY,GRAM DOLTA,DEOLI,DEOLI,TONK,RAJASTHAN,INDIA
2	PAWAN		पिता:CHOTHMAL	1. JEL COLONY,ATRU,BARAN,RAJAS

8. **Reasons for delay in reporting by the complainant/informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):**

9. **Particulars of properties of interest (Attach separate sheet, if necessary) (सम्बन्धित सम्पत्ति का विवरण(यदि आवश्यक हो, तो अलग पृष्ट नत्थी करें)):**

S.No. (क्र.सं.)	Property Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य(रु में))
1	सिक्के और मुद्रा	रुपये		50,000.00

10. **Total value of property stolen(In Rs/-) (चोरी हुई संपत्ति का कुल मूल्य(रु में)):** 50,000.00

11. **Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण न., यदि कोई हो):**

S.No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.आई.डी.बी. संख्या)

12. **First Information contents (Attach separate sheet, if necessary) (प्रथम सूचना तथ्य(यदि आवश्यक हो , तो अलग पृष्ठ नत्थी करे)):**

महोदय,हालात् घटना क्रम इस प्रकार है कि दिनांक 27.04.2026 को समय 01.30 पी.एम पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक प्रेरणा शेखावत को श्री साजिद खांन पुलिस निरीक्षक भ्रनिब्यूरो झालावाड़ ने मेरे चेम्बर में उपस्थित होकर बताया कि मेरे पास परिवादी श्री अनिल मीणा निवासी गांव लक्ष्मीपुरा तहसील व थाना अटरू जिला बारां ने जरिये मोबाईल कॉल कर बताया है कि मैं ग्राम लक्ष्मीपुरा नगरपालिका क्षेत्र अटरू का रहने वाला हूं। मैंने मेरे पिताजी श्री बद्रीलाल जी मीणा के नाम से लक्ष्मीपुरा गांव में प्लाट का पट्टा बनवाने के लिए आवेदन कर रखा है जब मैं नगर पालिका अटरू के बाउजी श्री अजय सिंह से मिला तो उन्होने मुझ से खर्चे पानी के 60 हजार रूपये मांगे है, मैं उनको रिश्वत के रूपये नही देना चाहता हूं। इस पर मैंने परिवादी श्री अनिल मीणा को कार्यालय में उपस्थित होकर प्रार्थना पत्र पेश करने के लिए कहा गया तो उसने कहा श्री अजय सिंह बाबूजी ने मुझे आज ही नगरपालिका अटरू में बुलाया है चूकिं मैं आज घरेलु कार्यो में भी व्यस्त हूं इसलिये मैं आज झालावाड़ नहीं आ सकता, आप किसी को मेरे पास भिजवा दो मैं उसको प्रार्थना पत्र दे दूंगा। इस पर मैंने परिवादी श्री अनिल को कहा है मैं कार्यालय से श्री देवदान सिंह कानि. 425 को डीजिटल वाईस रिकार्डर देकर अटरू भिजवा रहा हूं। वो तुम्हे टेप रिकार्डर चालू व बन्द करना सीखा देगें तुम्हे उनके साथ जाकर श्री अजय सिंह बाबू से रिश्वत मांग की वार्ता करनी है तथा वार्ता को टेप में रिकार्ड करके लाना है। रिकार्डिंग में रिश्वत की मांग आने पर ही आगे की कार्यवाही की जावेगी तथा रिश्वत मांग का प्रार्थना पत्र भी श्री देवदान सिंह जी को दे देना। श्री साजिद खान पु.नि. के बताये अनुसार आरोपी द्वारा आज ही परिवादी को मिलने बुलाया है तथा परिवादी ने कहा है कि वह आज ही रिश्वत की मांग करेगा, मामला भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संषोधित 2018) की धारा 7 की परिधि में आना पाया जाने पर रिश्वत मांग का गोपनीय सत्यापन करवाया जाना आवश्यक है अतः श्री साजिद खान पु.नि. को उक्त मामले में अग्रिम कार्यवाही करने हेतु निर्देशित कर श्री देवदान सिंह कानि. को अटरू भिजवाकर परिवादी श्री अनिल से मिलकर परिवादी को आरोपी श्री अजय सिंह के पास भिजवाकर रिश्वत की मांग का गोपनीय सत्यापन करवाने हेतु पाबन्द कर सत्यापन स्थिति अनुसार अग्रिम कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया। समय 01.45 पीएम पर मन् पुलिस निरीक्षक साजिद खान अपने कक्ष में उपस्थित आया तथा श्री देवदान सिंह कानि0 425 व श्री गोपाल लाल एएसआई को कक्ष में बुलवाकर मामले की समझाईश कर कार्यालय मालखाना में रखे हुए डिजिटल वाईस रिकार्डर IC RECORDER ICD-UX560F SONY CORP. MADE IN CHINA 5V 2386720 को जरिये श्री गोपाल लाल स.उ.नि. से निकलवाया जाकर उसमें मेमोरी कार्ड (Sandisk 16 GB microSD HC1) लगाकर चैक कर श्री देवदान सिंह कानि0 425 को डीवीआर सुपुर्द कर रिश्वत मांग सत्यापन करवाने अटरू जाकर परिवादी श्री अनिल मीणा से सम्पर्क कर उसको डीवीआर चालू व बन्द करने का तरीका समझाकर परिवादी श्री अनिल मीणा को आरोपी श्री अजय सिंह बाबू नगर पालिका अटरू के पास भिजवाकर परिवादी के साथ-साथ दूर से परिवादी पर निगरानी रखकर गोपनीय रिश्वत मांग का सत्यापन करवाने व परिवादी से प्रार्थना पत्र प्राप्त कर लाने हेतु निर्देशित किया गया तथा फर्द सुपुर्दगी डिजिटल वाईस रिकार्डर मुर्तिब कर सम्बंधितों के हस्ताक्षर करवाकर श्री देवदान सिंह कानि0 425 को अटरू जिला बारां के लिए रवाना किया गया। समय 07.30 पीएम पर श्री देवदान सिंह कानि 425 अटरू से कार्यालय हाजा में उपस्थित आया। डिजिटल वाईस रिकार्डर मय परिवादी का हस्तलिखित प्रार्थना पत्र मन् पुलिस निरीक्षक को सुपुर्द कर बताया कि मैं यहां से रवाना होकर समय करीब 03.45 पीएम पर अटरू में खानपुर रोड़ कटारमल चैराहा परिवादी द्वारा जरिये मोबाईल बताये स्थान पर पहुंचा। जहां पर परिवादी श्री अनिल मीणा उपस्थित मिला। परिवादी श्री अनिल मीणा ने श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो झालावाड़ के नाम रिश्वत लेते हुये रंगे हाथों पकड़वाने बाबत् एक हस्तलिखित प्रार्थना पत्र मुझे सुपुर्द किया। जिसका अवलोकन कर मैनें अपने पास रखा। तत्पश्चात मैनें अपने डिजिटल वाईस रिकार्डर निकालकर परिवादी श्री अनिल मीणा को संचालन विधि समझाकर सुपुर्द किया। इसके बाद मैं व परिवादी श्री अनिल मीणा अपने-अपने वाहनों से नगरपालिका अटरू से कुछ दूरी पर रूके और परिवादी से डिजिटल वाईस रिकार्डर चालू करवाकर उसके वाहन से आरोपी श्री अजय सिंह से रिश्वत की मांग का सत्यापन हेतु रवाना किया। मैने अपना वाहन साईड में खड़ा कर अपनी उपस्थिति छुपाते हुये नगरपालिका अटरू के गेट के नजदीक पहुंचकर दूर से परिवादी को देख रहा था। परिवादी नगर पालिका अटरू के भवन में साईड के रूम में प्रवेश कर आरोपी अजय सिंह के कमरे में प्रवेश कर गया था। कुछ समय बाद परिवादी बाहर आया व अपनी मोटर साईकिल लेकर रवाना हुआ।

मैं भी अपनी स्थिति छुपाता हुआ अपना वाहन लेकर परिवादी के पीछे-पीछे रवाना हुआ। कुछ दूरी पर जाकर परिवादी श्री अनिल मीणा रोड़ की साईड में रूका और मुझे बन्दशुदा डीवीआर सुपूर्द कर बताया की मैने श्री अजय सिंह बाबूजी से रिश्वत की बात कर ली है। उन्होने मेरे पिताजी के नाम लक्ष्मीपुरा गाँव में प्लाट का पटटा बनवाने के लिये 60 हजार रूपये की मांग की थी, जिस पर मेरे हाथा जोड़ी करने पर 50,000/-रूपये रिश्वत राशि लेने के लिए सहमत हो गये है। उन्होने 50,000/- रूपये रिश्वत राशि एक-दो दिन में नगरपालिका के पास ही स्थित दुकान पर बैठने वाले श्री पवन को देने के लिए कहा गया है । इस पर डीवीआर को कार्यालय में उपस्थित श्री गोपाल लाल सउनि को सुपुर्द कर मालखाना में सुरक्षित रखवाया गया। परिवादी द्वारा श्री देवदान सिंह कानि 425 को सुपुर्द किया गया प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया गया तो प्रार्थना पत्र परिवादी द्वारा स्वयं हस्तलिखित मय आधार कार्ड प्रति के श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भ्रनिब्यूरो झालावाड़ के नाम सम्बोधित करते हुये रिश्वत लेते रंगे हाथों पकडाने बाबत इस आशय का था कि ‘‘मेरा गांव नगरपालिका अटरू की सीमा में आता है, मैने मेरे पिताजी श्री बद्रीलाल जी मीणा के नाम से लक्ष्मीपुरा गांव में प्लाट का पट्टा बनवाने के लिए नगर पालिका अटरू में आवेदन कर रखा है। आवेदन के बाद में जब नगर पालिका अटरू के बाऊजी श्री अजय सिंह से मिला तो उन्होने बताया कि तेरे पिताजी का पट्टा बन जायेगा, लेकिन तुझे खर्चा पानी के 60 हजार रूपये देने पडेगें। इस प्रकार अटरू नगर पालिका के बाऊजी जो कि जेईएन का काम भी देखते है, मुझसे 60 हजार रूपये की रिश्वत मांग रहे है, मैं उनको रिश्वत के 60,000/- रूपये नही देना चाहता हूं उनको रिश्वत लेते हुये रंगे हाथो पकडवाना चाहता हूं। मेरी उनसे कोई रंजिश नही है, ना ही उधारी का लेन देन बकाया है। मेरी रिपोर्ट पर कार्यवाही करें।‘‘ इत्यादि। इस पर हालात् श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदया को अर्ज किये गये। श्री देवदान सिंह कानि 425 के बतायेनुसार ट्रेप कार्यवाही होने की सम्भावना है। अतः दो स्वतंत्र गवाह तलबी हेतु कार्यालय पत्रांक 528 दिनांक 27.04.2026 मुर्तिब कर उपनिदेशक आयुर्वेद विभाग झालावाड़ के मोबाईल पर व्हाट्स एप कर बाद जरिये मोबाईल वार्ता कर दो स्वतंत्र गवाह कल दिनांक 28.04.2026 को कार्यालय में भिजवाने हेतु निवेदन किया गया। आईन्दा परिवादी श्री अनिल मीणा के रिश्वत राशि लेकर कार्यालय में उपस्थित होने पर दोनो स्वतंत्र गवाहान के समक्ष रिश्वत मांग की ट्रांसक्रिप्ट तैयार करवाकर अग्रिम कार्यवाही अमल में लाई जावेगी। दिनांक 28.04.2026 समय 09.30 ए.एम परिवादी श्री अनिल पुत्र श्री बद्रीलाल जाति मीणा उम्र 23 वर्ष निवासी लक्ष्मीपुरा नगरपालिका व थाना अटरू जिला बारां मो.न.   कार्यालय में उपस्थित आया तथा मन् पुलिस निरीक्षक को बताया कि कल देवदान जी अटरू आ गये थे। मैनें आरोपी श्री अजय सिंह बाबूजी से रिश्वत की मांग का सत्यापन करवा दिया था। जिसको मैनें आप द्वारा श्री देवदान जी के साथ भिजवाये गये डिजिटल वाईस रिकार्डर में रिकार्ड कर लिया था। श्री अजय सिंह बाबूजी नगर पालिका अटरू द्वारा मुझसे मेरे पिताजी के नाम गांव लक्ष्मीपुरा में प्लाट का पट्टा बनाने की एवज में 60,000/-रूपये रिश्वत की मांग की थी। मेरे द्वारा हाथा जोड़ी करने पर व 50,000/- रूपये रिश्वत राशि लेने के लिए सहमत हो गये थे तथा रिश्वत राशि उन्होने नगर पालिका अटरू के पास स्थित दुकान में बैठने वाले पवन को देने के लिए कहा था। मैं श्री अजय सिंह बाबूजी के कहेनुसार 50,000/- रूपये रिश्वत राशि लेकर आया हूं। मैनें कल श्री देवदान जी के साथ रिश्वत राशि लेते पकडाने बाबत हस्तलिखित प्रार्थना पत्र मय आधार कार्ड प्रति के आपके कार्यालय में भिजवा दिया था। मेरे प्रार्थना पत्र पर कार्यवाही करने की कृपा करे। इस पर मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा परिवादी श्री अनिल मीणा से दरियाफ्त कर पूछताछ कर कार्यालय में बैठाया गया। दिनांक 28.04.2026 समय 10.10 ए.एम पर पूर्व से पाबन्द शुदा कार्यालय उपनिदेशक आयुर्वेद विभाग झालावाड़ से स्वतंत्र गवाहान कार्यालय में उपस्थित आये। जिनसे मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा की जाने वाली कार्यवाही के बारे में समझाकर उनसे नाम पता पूछा गया तो एक ने अपना नाम श्री राजेन्द्र गौतम पुत्र श्री रामप्रसाद गौतम जाति ब्राम्हण उम्र 57 साल निवासी म.न. 53 कनक रेजिडेन्सी झालावाड़ हाल वरिष्ठ आयुर्वेद कम्पाउण्डर राजकिय आयुर्वेद औषधालय मण्डावर जिला झालावाड़ मों.न.   होना बताया तथा दूसरे ने अपना नाम श्री सुभाष चन्द पुत्र श्री रामगोपाल जाति जाटव उम्र 56 साल निवासी बस स्टेण्ड के पास असनावर जिला झालावाड़ हाल वरिष्ठ आयुर्वेद कम्पाउण्डर राजकिय आयुर्वेद चिकित्सालय झालरापाटन जिला झालावाड़ मो.न.   का होना बताया। इस मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा कार्यालय में उपस्थित परिवादी श्री अनिल मीणा से दोनो स्वतंत्र गवाहान का आपसी परिचय करवाया गया। परिवादी द्वारा कार्यालय में पेश प्रार्थना पत्र पर पढकर सुनाया गया तथा कार्यवाही में स्वतंत्र गवाह बनने की सहमति चाही गई तो दोनो स्वतंत्र गवाहान ने परिवादी से वार्ता कर प्रार्थना पत्र पढकर प्रार्थना पत्र पर अपने-अपने हस्ताक्षर कर कार्यवाही में स्वतंत्र गवाह बनने की सहमति प्रदान की गई। समय 10.15 ए.एम पर मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा श्री गोपाल लाल सउनि को निर्देश देकर मालखाना से डीवीआर मय मेमोरी कार्ड को निकलवाया जाकर उपस्थित दोनो गवाहान को बताया कि परिवादी श्री अनिल मीणा एवं आरोपी श्री अजय सिंह बाबू नगर पालिका अटरू जिला बारां के मध्य दिनांक 27.04.2026 को नगर पालिका अटरू में रिश्वत मांग सत्यापन की गोपनीय वार्ता हो चुकी है। जिसको परिवादी द्वारा उसको एसीबी झालावाड़ द्वारा सुपुर्द ब्यूरो कार्यालय के डिजिटल वाइस रिकार्डर IC RECORDER ICD-UX560F SONY CORP. MADE IN CHINA 5V 2386720 मय मेमोरी कार्ड (Sandisk 16 GB microSD HC1) में रिकार्ड किया था। उक्त रिकार्डेड रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता को डिजिटल वाईस रिकाॅर्डर मय मेमोरी कार्ड को कार्यालय के लेपटाॅप में कनेक्ट कर स्पीकर आन कर वार्ता को सुना गया तथा वार्ता में हुई आवाजो की पहचान परिवादी द्वारा की गई

उक्त रिकार्डेड वार्ता में परिवादी श्री अनिल मीणा द्वारा एक आवाज अपनी व दूसरी आवाज आरोपी श्री अजय सिंह बाबू व तीसरी आवाज अन्य व्यक्ति की होना सुन कर पहचान कर बताया। मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा श्री देवदान सिंह कानि0 न0 425 को निर्देश देकर दोनो स्वतंत्र गवाहान व परिवादी के समक्ष वार्ताओं को सुन-सुन कर वार्ता की फर्द ट्रांसक्रिप्ट टाईप करवाई जाकर फर्द ट्रांसक्रिप्ट रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता मुर्तिब कर सम्बंधितों के हस्ताक्षर करवाये गये। समय 11.50 ए. एम पर उपस्थित दोनों स्वतंत्र गवाहान की मौजूदगी में परिवादी श्री अनिल मीणा द्वारा आरोपी श्री अजय सिंह बाबू नगर पालिका अटरू जिला बारां की मांग अनुसार आरोपी को रिश्वत राशि देने हेतु 500-500 रूपये के 100 नोट कुल 50,000/- रूपये भारतीय मुद्रा के अपने पास से निकाल कर मन् पुलिस निरीक्षक को पेश किये, जिनके नम्बरों को फर्द में अंकित करवाया गया। उक्त प्रस्तुत नोटो को मन् पुलिस निरीक्षक ने परिवादी व दोनों स्वतन्त्र गवाहान को दिखा कर श्री इस्माईल अंसारी सहायक उप निरीक्षक से फिनोफ्थलीन पाउडर की शीशी मालखाना से निकलवाकर मंगवाई गई तथा उक्त सउनि को रिश्वत में दिये जाने वाली राशि के नोट सुपुर्द कर उसके द्वारा ही 50000/-रूपये रिश्वत राशि के नोटो पर फिनोफ्थलीन पाउडर इस प्रकार लगवाया गया कि नोटो पर पाउडर की मौजूदगी प्रभावी व अदृष्य रहे तथा स्वतंत्र गवाहान श्री राजेन्द्र गौतम से परिवादी श्री अनिल मीणा की जामा तलाशी लिवायी जाकर उसके पास पहने हुये कपड़े व मोबाईल के अलावा कुछ भी नहीं रहने दिया गया। श्री इस्माईल अंसारी सहायक उप निरीक्षक के हाथ से सीधे ही फिनोफ्थलीन पाउडर युक्त उक्त रिश्वत राशि 50000/- रूपये परिवादी श्री अनिल मीणा की पहनी पेन्ट की दाहिनी साईड की जेब में रखवाये गये। परिवादी को हिदायत दी गई की वह रिश्वत राशि को रास्ते में अनावश्यक हाथ नहीं लगाये तथा आरोपी श्री अजय सिंह बाबू नगरपालिका अटरू जिला बारां द्वारा मांगने पर ही निकालकर रिश्वती राशि उन्हे देवें। रिश्वती राशि देने के पश्चात एवं पूर्व में आरोपी से हाथ नहीं मिलायें, यदि अभिवादन की आवश्यकता पड़े तो दूर से ही दोनों हाथ जोड़कर अभिवादन कर लें। परिवादी को यह भी हिदायत दी गयी कि आरोपी द्वारा रिश्वती राशि प्राप्त करने के पश्चात् रिश्वत राशि कहां रखता अथवा छुपाता हैं का भी ध्यान रखें तथा आरोपी के रिश्वती राशि प्राप्त करने पर अपने स्वयं के सिर पर दोनो हाथ फेर कर या मन् पुलिस निरीक्षक के मोबाईल पर मिस काल करें ताकि मन् पुलिस निरीक्षक एवं ट्रेप पार्टी के सदस्यों को रिश्वती राशि के लेन-देन होने का पता चल जाये। दोनो स्वतन्त्र गवाहान व ट्रेप पार्टी के सदस्यों को भी हिदायत दी गई कि जहां तक सम्भव हो अपनी-अपनी उपस्थिति छुपाते हुए रिश्वती राशि लेन-देन को देखने एवं वार्तालाप को सुनने का प्रयास करें। इसके पश्चात् फिनोफ्थलीन पाउडर की शीशी को श्री इस्माईल अंसारी सहायक उप निरीक्षक से ही मालखाना में रखवाया गया। एक साफ प्लास्टिक के डिस्पोजल गिलास में साफ पानी डलवाकर उसमें एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर मिलाकर घोल तैयार करवाने पर गिलास के घोल के रंग में कोई परिवर्तन नहीं आया। डिस्पोजल गिलास के उक्त रंगहीन घोल में नोटों पर फिनोफ्थलीन पाउडर लगाने वाले श्री इस्माईल अंसारी सहायक उप निरीक्षक के दाहिने हाथ की अंगुलियां को डुबोकर धुलवाया गया तो घोल का रंग गहरा गुलाबी हो गया। इस तरह दोनों स्वतंत्र गवाहान् श्री राजेन्द्र गौतम व श्री सुभाष चन्द एवं परिवादी श्री अनिल मीणा व उपस्थित गण को दृष्टांत देकर समझाईश की गई कि जो भी व्यक्ति इन फिनोफ्थलीन पाउडर युक्त नोटो के हाथ लगायेगा या छुयेगा तो उसके हाथों की अंगुलियों को सोडियम कार्बोनेट पाउडर के घोल में धुलवाने पर दोनों पाउडर के परस्पर मिश्रण से घोल का रंग परिवर्तित होकर गुलाबी हो जायेगा, जिससे यह जाहिर होगा कि उसने फिनोफ्थलीन पाउडर युक्त रिश्वत राशि प्राप्त की है या छुई है। इसके पश्चात् श्री इस्माईल अंसारी सहायक उप निरीक्षक के द्वारा ही डिस्पोजल गिलास में दृष्टान्त के उपयोग में लिये गये गुलाबी घोल को बाथरूम के वाश बेसिन में डलवाकर नष्ट करवाया गया तथा प्लास्टिक के डिस्पोजल गिलास को व फिनोफ्थलीन पाउडर लगाने में काम में लिये गये अखबार को जलाकर नष्ट करवाया गया। प्लास्टिक के डिस्पोजल गिलासों, चम्मच, खाली पव्वों ट्रेप सामग्री किट इत्यादि को भी साफ पानी व साबुन से अच्छी तरह धुलवाये जाकर ट्रेप बाक्स में रखवाये गये। श्री इस्माईल अंसारी सहायक उप निरीक्षक एवं ट्रेप पार्टी के सदस्यों के दोनों हाथों को भी साफ पानी व साबुन से धुलवाया गया। इसके पश्चात् परिवादी को छोड़कर समस्त पार्टी के सदस्यगणों की अपनी-अपनी आपस में जामा तलाशी लिवाई गई तथा ट्रेप दल में ब्यूरो स्टाफ के पास स्वयं के विभागीय परिचय पत्र रहने दिये गये, किसी के पास कोई आपत्तिजनक वस्तु अथवा राशि नहीं रहने दी गई। रिश्वती लेन देन के समय होने वाली वार्ता को रिकार्ड करने हेतु एक डिजिटल वाईस रिकार्डर के रख रखाव व संचालन की विधि पुनः समझाकर परिवादी अनिल मीणा को सुपुर्द किया गया। उक्त कार्यवाही फर्द पेश कशी एवं सुपुर्दगी रिश्वत राशि नोट एवं दृष्टांत तैयार करवाकर सम्बंधितो के हस्ताक्षर करवाये गये। समय 12.15 पी.एम पर ट्रेप कार्यवाही में जाने से पूर्व की तैयारी पूर्ण होने पर मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा परिवादी श्री अनिल मीणा से आरोपी श्री अजय सिंह की कार्यालय नगर पालिका अटरू मौजूदगी जानने हेतु कहा गया तो परिवादी श्री अनिल मीणा ने अपने किसी जानने वाले व्यक्ति को फोन कर पता किया तो बताया गया कि आरोपी अपनी सीट पर मौजूद नही है। इस पर आरोपी की मौजूदगी की मालुमात करने के लिए आरोपी के मोबाईल की लोकेशन पता करवाई गई तो आरोपी की लोकेशन झालावाड़ व कुछ समय बाद रामगंज मण्डी में होना ज्ञात हुई। आज आरोपी नगर पालिका अटरू में उपस्थित नही है। अतः ट्रेप कार्यवाही आईन्दा करने का निर्णय लिया गया। परिवादी व दोनो स्वतंत्र गवाहान को मामले की गोपनीयता बनाये रखने की हिदायत की गई तथा परिवादी श्री अनिल मीणा से कहा गया कि आरोपी श्री अजय सिंह के अटरू नगर पालिका में उपस्थित होने पर जरिये मोबाईल मन्

पुलिस निरीक्षक को काल कर अवगत करावे। श्री इस्माईल अंसारी सउनि को निर्देशित कर परिवादी की पेन्ट की जेब से रिश्वत राशि 50,000/-रूपये निकलवाकर एक लिफाफे में रखवाकर मालखाने में सुरक्षित रखवाया गया। परिवादी को सुपुर्द शुदा डीवीआर प्राप्त कर सुरक्षित मालखाने में रखवाया गया। दोनो स्वतंत्र गवाहान व परिवादी को मुनासिब हिदायत कर रूकसत किया गया। दिनांक 29.04.2026 समय 10.00 ए.एम पर परिवादी श्री अनिल मीणा द्वारा मन् पुलिस निरीक्षक को काल कर अवगत करवाया कि मैनें आरोपी श्री अजय सिंह का पता करवाया है, वह आज नगर पालिका अटरू में समय करीब 01-02 बजे तक उपस्थित आने की सम्भावना है। मै अटरू से 01-02 कि.मी. पहले झालावाड़ रोड़ पर आपको मिल जाउंगा। आप मेरे द्वारा सुपुर्द रिश्वत राशि लेकर आ जाओ। ट्रेप कार्यवाही होने की सम्भावना होने पर मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा दोनो स्वतंत्र गवाहान श्री राजेन्द्र गौतम व श्री सुभाष चन्द को कार्यालय में उपस्थित आने हेतु निवेदन कर एसीबी जाब्ते को तलब किया गया। समय 10.30 ए.एम पर पाबन्द शुदा दोनो स्वतंत्र गवाहान कार्यालय में उपस्थित आये। जिनको हालात अवगत करवाकर श्री छोटूलाल कानि चालक 534 को निर्देशित कर मालखाना में लिफाफे में सुरक्षित रखी रिश्वत 50,000/-रूपये का लिफाफा निकलवाकर बोलेरो सरकारी के डेसबोर्ड में रखवाया गया तथा डीवीआर निकलवाकर मन् पुलिस निरीक्षक ने सुरक्षित अपने पास रखा। श्री गोपाल लाल सउनि मय दोनो स्वतंत्र गवाहान श्री राजेन्द्र गौतम व श्री सुभाष चन्द को मय सरकारी बोलेरो चालक श्री छोटूलाल कानि 534 के मय ट्रेप बाक्स, लेपटाप प्रिन्टर मय आवश्यक सामग्री के कार्यालय से अटरू के लिए रवाना कर उनके पीछे-पीछे मन् पुलिस निरीक्षक साजिद खान मय एसीबी जाब्ता श्री मोहम्मद आफाक सउनि, श्री देवदान सिंह कानि 425, श्री शिवराज कानि 166, श्री शीशराम कानि 126 मय प्राईवेट वाहन से कार्यालय से अटरू के लिए रवाना हुआ। समय 12.15 पी.एम पर मन् पुलिस निरीक्षक मय एसीबी टीम के कार्यालय से रवाना शुदा अन्ताना गांव से थोड़ा आगे अटरू रोड़ पर परिवादी श्री अनिल मीणा द्वारा बताये स्थान पर अपनी मोटरसाईकिल से रोड़ की साईड में खड़ा हुआ उपस्थित मिला। मन् पुलिस निरीक्षक मय एसीबी जाब्ता के वाहनो को साईड में खड़ा करवाकर रूका तथा परिवादी ने मन् पुलिस निरीक्षक के पास आकर बताया कि अभी आरोपी श्री अजय सिंह बारां गया हुआ है। लगभग 02 बजे तक वह अटरू नगर पालिका में आ जायेगा। इस पर मन् पुलिस निरीक्षक ने श्री छोटूलाल कानि चालक नं. 534 से बोलेरो वाहन के डेस बोर्ड में लिफाफे में रखी रिश्वत राशि 50,000/-रूपये को दोनो स्वतंत्र गवाहान के समक्ष निकालवाया जाकर श्री छोटूलाल कानि चालक से लिफाफे में से रिश्वत राशि निकलवाकर सीधे ही परिवादी श्री अनिल मीणा के पहनी हुई पेन्ट की साईड की दाहिनी जेब में रखवाये गये तथा एक बोतल के पानी से श्री छोटूलाल कानि चालक के दोनो हाथो को साबुन पानी से अच्छी तरह हाथ धुलवाये गये। परिवादी श्री अनिल मीणा को हिदायत की गई कि उक्त रिश्वत राशि को अनावश्यक नही छुये तथा आरोपी द्वारा मांगने पर ही उसे रिश्वती राशि निकालकर देवें, रास्ते में अनावश्यक रिश्वत राशि को नही छुये। परिवादी के बतायेनुसार आरोपी श्री अजय सिंह अभी बारां में है। उसके नगर पालिका अटरू में उपस्थित आने की प्रतिक्षा में मन् पुलिस निरीक्षक मय एसीबी टीम मय परिवादी वही रोड़ की साईड में पेडो के नीचे वाहनों को खड़ा कर मुकिम समय 04.00 पी.एम. पर परिवादी श्री अनिल मीणा ने मन् पुलिस निरीक्षक के पास आकर बताया कि अभी मैनें मेरे मिलने वाले से मोबाईल पर बात की है। उसने बताया है कि श्री अजय सिंह नगर पालिका अटरू में आ गया है। इस पर मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा आरोपी श्री अजय सिंह की लोकेशन निकलवाइ् गई तो उसकी उपस्थिति अटरू में पाई गई। इस पर मन् पुलिस निरीक्षक ने डिजिटल वाईस रिकार्डर मय मेमोरी कार्ड के परिवादी को पुनः संचालन विधि समझाकर सुपुर्द किया तथा उसको उसकी मोटरसाईकिल से आरोपी श्री अजय सिंह को रिश्वत राशि देने से पूर्व डीवीआर को चालू करने की हिदायत कर अटरू नगर पालिका के लिए आगे-आगे रवाना कर मन् पुलिस निरीक्षक मय एसीबी टीम मय सरकारी व प्राईवेट वाहनों से उसके पीछे-पीछे नगर पालिका अटरू के लिए रवाना हुआ। समय 04.15 पी.एम. पर परिवादी नगर पालिका अटरू से कुछ दूरी पर रोड़ की साईड में रूका। मन् पुलिस निरीक्षक ने सरकारी और प्राईवेट वाहन को रोड़ के साईड में खड़ा करवाकर मय एसीबी टीम के वाहनों से उतरकर मन् पुलिस निरीक्षक परिवादी के पास पहुंचा। परिवादी से डीवीआर चालू करवाकर आरोपी अजय सिंह के कहेनुसार रिश्वत राशि दलाल पवन को दिलवाने हेतु रवाना किया तथा उसके पीछे-पीछे मन् पुलिस निरीक्षक श्री मोहम्मद आफाक सउनि, श्री शीशराम कानि रवाना हुये तथा श्री गोपाल लाल सउनि, श्री देवदान सिंह कानि, श्री शिवराज कानि को आरोपी श्री अजय सिंह की निगरानी हेतु नगर पालिका अटरू के गेट के आस-पास मुकिम रहने की हिदायत कर रवाना किया। श्री छोटूलाल कानि चालक को वाहनों की निगरानी हेतु वाहनों के पास छोड़ा गया। परिवादी श्री अनिल मीणा नगर पालिका अटरू के पास स्थित कृष्णा कन्स्ट्रक्शन एण्ड इंजिनियर्स दुकान नम्बर 04 में आरोपी श्री अजय सिंह के कहेनुसार दलाल श्री पवन को रिश्वत राशि 50,000/-रूपये देने हेतु मोटरसाईकिल को साईड में खड़ा कर दुकान में प्रवेश हुआ। मन् पुलिस निरीक्षक मय एसीबी जाब्ता श्री मो. आफाक सउनि, श्री शीशराम कानि मय दोनो स्वतंत्र गवाहान के दुकान के आस-पास राजस्थान ग्रामीण बैंक अटरू के पास परिवादी के रिश्वत राशि देने के ईषारे की प्रतिक्षा में मुकिम हुये। समय 04.25 पी.एम. पर दोनो गवाहान के समक्ष राजस्थान ग्रामीण बैंक अटरू के पास मुकिम मन् पुलिस निरीक्षक मय एसीबी टीम को परिवादी श्री अनिल मीणा ने नगर पालिका अटरू के पास स्थित कृष्णा कन्स्ट्रक्शन एण्ड इंजिनियर्स शाप नम्बर 04 के बाहर आकर दोनों हाथों में साफी पकड़कर सिर पर हाथ फेरकर रिश्वत राशि देने का ईशारा किया। इस पर मन् पुलिस निरीक्षक मय दोनों स्वतंत्र गवाहान व एसीबी टीम को अपने

पीछे आने का ईशारा कर तेज कदमों से परिवादी के पास पहुंचा। परिवादी से डिजिटल वाईस रिकार्डर प्राप्त कर बन्द कर अपने पास सुरक्षित रखा। तत्पश्चात परिवादी श्री अनिल मीणा ने बताया कि मैनें अभी-अभी श्री अजय सिंह बाबूजी नगर पालिका अटरू से पूर्व में दिनांक 27.04.2026 को हुई वार्तानुसार 50,000/-रूपये रिश्वत राशि खर्चे पानी के ग्राम लक्ष्मीपुरा में मेरे पिताजी के नाम प्लाट का पट्टा जारी करवाने की एवज में मैनें श्री पवन जी से कहा कि श्री अजय सिंह बाबूजी ने आपको देने की कहा है, तो उन्होने मुझसे कहा कि अजय सिंह ने तो मुझे 60,000/-रूपये देने की बोला था। मैनें पवन जी से कहा कि मेरी अजय सिंह से बात हो गई है, 50,000/-रूपये ही देने है। इस पर श्री पवन जी ने मुझसे बोला कि परदे के पीछे डिब्बे में डाल दे। इस पर मैनें परदा हटाया तो वहां डस्ट बिन नुमा एक डिब्बा रखा हुआ था। मैनें पवन जी के कहेनुसार 50,000/-रूपये रिश्वत राशि उस डिब्बे में डाल दी। इस पर नगर पालिका अटरू के बाहर गेट पर श्री गोपाल लाल सउनि, श्री देवदान सिंह कानि 425, श्री शिवराज कानि 166 को ईशारा कर नगरपालिका अटरू में उपस्थित श्री अजय सिंह की निगरानी में मौजूद एसीबी जाब्ते को श्री अजय सिंह को डिटेन करने हेतु नगर पालिका के अन्दर रवाना किया तथा मन् पुलिस निरीक्षक मय दोनो स्वतंत्र गवाहान श्री राजेन्द्र गौतम व श्री सुभाष चन्द एवं एसीबी जाब्ता श्री मोहम्मद आफाक सउनि, श्री शीशराम कानि 12ृ6 को पीछे आने का ईशारा कर परिवादी श्री अनिल मीणा को साथ लेकर नगर पालिका अटरू के पास स्थित कृष्णा कन्स्ट्रक्शन एण्ड इंजिनियर्स शाप नम्बर 04 के अन्दर प्रवेश किया तो वहां दो व्यक्ति बैठे हुये थे। एक व्यक्ति कम्प्यूटर पर कार्य कर रहे थे तथा दूसरा व्यक्ति सामने कुर्सी पर आसमानी कलर की शर्ट व ग्रे कलर की पेन्ट पहने हुये बैठा था, जिसकी ओर ईशारा कर परिवादी ने बताया कि यही पवन जी है, जिनके कहने पर मैनें 50,000/-रूपये रिश्वत राशि परदे के पीछे रखे डस्ट बिन नुमा डिब्बे में डाले है। इस पर मन् पुलिस निरीक्षक ने अपना व एसीबी टीम का परिचय देते हुये आने का प्रयोजन बताया तथा उसका नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम पवन कुमार पुत्र श्री चोथमल जाति रैगर उम्र 35 वर्ष निवासी जेल कालोनी अटरू जिला बारां का होना बताकर अपने मोबाईल नम्बर बताये। इस पर मन् पुलिस निरीक्षक ने श्री पवन कुमार से पूछा कि आपने अभी-अभी परिवादी श्री अनिल मीणा से 50,000/-रूपये परदे के पीछे डस्ट बिन नुमा डिब्बे में क्यो और किसके कहने पर डलवाये है। इस पर श्री पवन कुमार ने बताया कि मुझे कोई जानकारी नही है, डस्ट बिन में रूपये कैसे आये, यहां तो रोजाना 30-40 आदमी आते है। इस पर वही मौजूद परिवादी श्री अनिल मीणा ने आरोपी दलाल श्री पवन की बात का खण्डन करते हुये बताया कि पवन जी झूठ बोल रहे है। मुझसे अजय सिंह ने मेरे पिताजी के नाम गांव लक्ष्मीपुरा में प्लाट का पट्टा जारी करवाने की एवज में 50,000/-रूपये खर्चे पानी रिश्वत राशि श्री पवन जी को देने की कहा था। इस पर मैनें अजय सिंह जी बाबूजी के कहेनुसार श्री पवन जी को देना चाहा तो पवन जी ने कहा कि मुझसे तो अजय सिंह ने 60,000/-रूपये की कहा था। इस पर मैने कहा कि मेरी अजय सिंह से बात हो गई है। उन्होने 50,000/-रूपये आपको देने की कहा है। इस पर श्री पवन जी ने मुझसे परदे के पीछे रखे डस्ट बिन नुमा डिब्बे में उक्त राशि डालने की कहा। इस पर मैने 50,000/-रूपये रिश्वत राशि डस्ट बिन नुमा डिब्बे में डाल दिये थे। इस पर दोनो स्वतंत्र गवाहान को परदे के पीछे डस्ट बिन नुमा डिब्बे में रिश्वत राशि देखने हेतु कहा तो उन्होने बताया कि डिब्बे में 500-500 रूपये के नोटो की गड्डी पड़ी हुई है। इस पर मन् पुलिस निरीक्षक ने दोनो स्वतंत्र गवाहान से नोटो की गड्डी को डस्ट बिन नुमा डिब्बे से उठवाकर कार्यालय में बनवाई फर्द पेश कशी नोट एवं सुपुर्दगी में अंकित नोटो के नम्बरो से मिलान करवाने हेतु कहा गया तो दोनो स्वतंत्र गवाहान ने नोटो को गिना तो 500-500 रूपये के 100 नोट कुल 50,000/-रूपये होना बताकर फर्द पेश कशी में अंकित नोटो के नम्बरो से मिलान कर नोटो को हूबहू मिलान होना बताया जो निम्न प्रकार हैः- 1. एक नोट 500/-रूपये का नम्बर 7EG 460605, 2. एक नोट 500/-रूपये का नम्बर 0QG 678112, 3. एक नोट 500/-रूपये का नम्बर 4TQ 242165 , 4. एक नोट 500/-रूपये का नम्बर 4ES 780468, 5. एक नोट 500/-रूपये का नम्बर 1FE 402890, 6. एक नोट 500/-रूपये का नम्बर 3RW 627994, 7. एक नोट 500/-रूपये का नम्बर 4CE 383832, 8. एक नोट 500/-रूपये का नम्बर 5SL 438496, 9. एक नोट 500/-रूपये का नम्बर 9RL 907849, 10. एक नोट 500/-रूपये का नम्बर 6HM 259227, 11. एक नोट 500/-रूपये का नम्बर 0ND 699492, 12. एक नोट 500/-रूपये का नम्बर 5NN 932130, 13. एक नोट 500/-रूपये का नम्बर 9ME 897422, 14. एक नोट 500/-रूपये का नम्बर 8BG 331766, 15. एक नोट 500/-रूपये का नम्बर 3UM 976530, 16. एक नोट 500/-रूपये का नम्बर 1KK 943171, 17. एक नोट 500/-रूपये का नम्बर 6GN 590647, 18. एक नोट 500/-रूपये का नम्बर 1RS 744025, 19. एक नोट 500/-रूपये का नम्बर 4KW 343238, 20. एक नोट 500/-रूपये का नम्बर 3VV 568151, 21. एक नोट 500/-रूपये का नम्बर 1DH 199444, 22. एक नोट 500/-रूपये का नम्बर 9QN 784145, 23. एक नोट 500/-रूपये का नम्बर 2PL 987705, 24. एक नोट 500/-रूपये का नम्बर 7FQ 713003, 25. एक नोट 500/-रूपये का नम्बर 3TQ 748758, 26. एक नोट 500/-रूपये का नम्बर 5UU 846227, 27. एक नोट 500/-रूपये का नम्बर 8HA 937241, 28. एक नोट 500/-रूपये का नम्बर 0AE 755325, 29. एक नोट 500/-रूपये का नम्बर 9DC 362073, 30. एक नोट 500/-रूपये का नम्बर 2MM 726080, 31. एक नोट 500/-रूपये का नम्बर 0FG 062915, 32. एक नोट 500/-रूपये का नम्बर 1GK 369334, 33. एक नोट 500/-रूपये का नम्बर 9KH 683414, 34. एक नोट 500/-रूपये का नम्बर 3DC 890795, 35. एक नोट 500/-रूपये का नम्बर 5TR 620130, 36. एक नोट 500/-रूपये का नम्बर

8BM 553174, 37. एक नोट 500/-रूपये का नम्बर 0LQ 502004, 38. एक नोट 500/-रूपये का नम्बर 5AR 204306, 39. एक नोट 500/-रूपये का नम्बर 8BC 571557, 40. एक नोट 500/-रूपये का नम्बर 8EP 454971, 41. एक नोट 500/-रूपये का नम्बर 8EP 454970, 42. एक नोट 500/-रूपये का नम्बर 8EP 454991, 43. एक नोट 500/-रूपये का नम्बर 5FL 180259, 44. एक नोट 500/-रूपये का नम्बर 0ED 380152, 45. एक नोट 500/-रूपये का नम्बर 8NP 286405, 46. एक नोट 500/-रूपये का नम्बर 1QU 822387, 47. एक नोट 500/-रूपये का नम्बर 4MM 473229, 48. एक नोट 500/-रूपये का नम्बर 4MG 890797, 49. एक नोट 500/-रूपये का नम्बर 1MB 748108, 50. एक नोट 500/-रूपये का नम्बर 3HL 023313, 51. एक नोट 500/-रूपये का नम्बर 9GL 329907, 52. एक नोट 500/-रूपये का नम्बर 1GM 728883, 53. एक नोट 500/-रूपये का नम्बर 4BW 550873, 54. एक नोट 500/-रूपये का नम्बर 2WA 345590, 55. एक नोट 500/-रूपये का नम्बर 0KK 127712, 56. एक नोट 500/-रूपये का नम्बर 4HT 452063 57. एक नोट 500/-रूपये का नम्बर 6NE 364708, 58. एक नोट 500/-रूपये का नम्बर 5HK 310874, 59. एक नोट 500/-रूपये का नम्बर 5GM 265616, 60. एक नोट 500/-रूपये का नम्बर 3MT 677934, 61. एक नोट 500/-रूपये का नम्बर 4HQ 440291, 62. एक नोट 500/-रूपये का नम्बर 7HG 656192, 63. एक नोट 500/-रूपये का नम्बर 9EL 485780, 64. एक नोट 500/-रूपये का नम्बर 2GS 503387, 65. एक नोट 500/-रूपये का नम्बर 9EB 048556, 66. एक नोट 500/-रूपये का नम्बर 8AK 251687, 67. एक नोट 500/-रूपये का नम्बर 2GR 861821, 68. एक नोट 500/-रूपये का नम्बर 4BA 284486, 69. एक नोट 500/-रूपये का नम्बर 8QW 056203, 70. एक नोट 500/-रूपये का नम्बर 5ST 877563, 71. एक नोट 500/-रूपये का नम्बर 1CK 340911, 72. एक नोट 500/-रूपये का नम्बर 2FP 567291, 73. एक नोट 500/-रूपये का नम्बर 1CG 165904, 74. एक नोट 500/-रूपये का नम्बर 4FW 282048, 75. एक नोट 500/-रूपये का नम्बर 8SS 014300, 76. एक नोट 500/-रूपये का नम्बर 0GG 200803, 77. एक नोट 500/-रूपये का नम्बर 4KF 910841, 78. एक नोट 500/-रूपये का नम्बर 1BK 740509, 79. एक नोट 500/-रूपये का नम्बर 1GK 324100, 80. एक नोट 500/-रूपये का नम्बर 8AS 517023, 81. एक नोट 500/-रूपये का नम्बर 1PE 815715, 82. एक नोट 500/-रूपये का नम्बर 8MR 567281, 83. एक नोट 500/-रूपये का नम्बर 8NR 565880, 84. एक नोट 500/-रूपये का नम्बर 9RL 609597, 85. एक नोट 500/-रूपये का नम्बर 8SC 155443, 86. एक नोट 500/-रूपये का नम्बर 6SW 171000, 87. एक नोट 500/-रूपये का नम्बर 6GH 710384, 88. एक नोट 500/-रूपये का नम्बर 2FP 140370, 89. एक नोट 500/-रूपये का नम्बर 7KS 453412, 90. एक नोट 500/-रूपये का नम्बर 6AU 340629, 91. एक नोट 500/-रूपये का नम्बर 1GD 589206, 92. एक नोट 500/-रूपये का नम्बर 3NN 757244, 93. एक नोट 500/-रूपये का नम्बर 2PP 688798, 94. एक नोट 500/-रूपये का नम्बर 4EN 285401, 95. एक नोट 500/-रूपये का नम्बर 3CL 188213, 96. एक नोट 500/-रूपये का नम्बर 5BN 286618, 97. एक नोट 500/-रूपये का नम्बर 2HG 831713, 98. एक नोट 500/-रूपये का नम्बर 4NN 530898, 99. एक नोट 500/-रूपये का नम्बर 7LW 152693, 100. एक नोट 500/-रूपये का नम्बर 4BC 174471, उक्त रिश्वत राशि 500-500 रूपये के 100 नोट कुल 50,000/-रूपये के नोटों को एक लिफाफे में रखकर सम्बंधितों के हस्ताक्षर करवाकर कर कब्जे एसीबी लिये गये। डस्ट बिन नुमा डिब्बे जिसमें एक प्लास्टिक शीट जिस पर रिश्वत राशि 50,000/-रूपये बरामद हुई थी। उक्त प्लास्टिक शीट का धोवन लिया जाना आवश्यक होने से एक प्लास्टिक का डिस्पोजल गिलास निकलवाकर उसमें सोडियम कार्बोनेट पाउडर डालकर उसमें पानी डालकर घोल तैयार करवाया जाकर एक कपडे़ की चिन्दी को धोवन में गीला कर रिश्वत राशि रखी प्लास्टिक शीट पर रगड़कर धोवन लिया गया तो धोवन का रंग हल्का गुलाबी हो गया, जिसको हाजरिन को दिखाकर दो कांच की शीशीयो में आधा-आधा डालकर षिल्ड चस्पा मोहर किया जाकर मार्क डी-1, डी-2 अंकित कर सम्बंधित के हस्ताक्षर करवाकर कब्जे एसीबी लिये गये तथा धोवन के काम में ली गई चिन्दी व डस्ट बिन प्लास्टिक शीट को भी बतोर वजह सबूत जब्त कर एक सफेद कपड़ा थैली में रखकर मार्क-सी अंकित कर शील्ड चिट किया जाकर सम्बंधितो के हस्ताक्षर करवाकर कब्जे एसीबी लिया गया। परिवादी श्री अनिल मीणा रिश्वत राशि डिब्बे में डालकर बाहर चला गया था, हो सकता है बाद में आरोपी दलाल श्री पवन द्वारा भी उक्त रिश्वत राशि को छुआ हो या गिना होने का अंदेषा होने पर आरोपी दलाल श्री पवन के भी दोनों हाथों के धोवन लिया जाना आवश्यक होने से दो डिस्पोजल प्लास्टिक के गिलासो में सोडियम कार्बानेट का घोल तैयार करवाया गया तथा दोनो डिस्पोजल गिलासो के धोवनों में बारी-बारी से आरोपी दलाल श्री पवन के दाहिने एवं बांये हाथों का धोवन लिया गया तो दोनो धोवनों का रंग मटमैला हो गया। जिनको भी अलग-अलग कांच की शीशीयो आधा-आधा डालकर शील चिट कर दाहिने हाथ के धोवन पर मार्क आर.एच-1, आर.एच-2 व बांये हाथ के धोवन की शीशीयो पर मार्क एल.एच-1, एल.एच-2 दिया जाकर सील चिट कर सम्बंधितों के हस्ताक्षर करवाकर कब्जे एसीबी लिये गये। ट्रेप कार्यवाही की धोवन की कार्यवाही के दौरान सरकारी मोबाईल फोन एन्ड्रोएड में मेमोरी कार्ड लगाकर श्री शीशराम कानि 126 को निर्देश देकर धारा 180 बीएनएसएस के तहत विड़ियो रिकार्डिंग करवाई गई। जिसकी मेमोरी कार्ड एवं पेनड्राईव को पृथक-पृथक सील मोहर कर फर्द मुर्तिब की जावेगी। धोवन में काम में लिये गये प्लास्टिक के डिस्पोजल गिलासों को नष्ट

करवाया गया। आरोपी दलाल श्री पवन की जामा तलाशी स्वतंत्र गवाह श्री राजेन्द्र गौतम द्वारा लिवाई गई तो एक हजार रूपये नगद व एक मोबाईल फोन, आधार कार्ड, जन आधार व वोटर आईडी व अन्य दस्तावेज इत्यादि मिले। जिनके बारे में आरोपी दलाल श्री पवन से पूछने पर स्वयं के खर्चे पानी के रूपये होने व दस्तावेज स्वयं का होना बताया। जवाब संतोषप्रद होने पाया गया है। अतः उक्त रूपये व दस्तावेज आरोपी दलाल के परिजनो को लोटाये जायेगे। इस समय श्री गोपाल लाल सउनि मय एसीबी टीम के आरोपी श्री अजय सिंह को पास ही स्थित नगर पालिका अटरू से डिटेन कर घटनास्थल पर लाया गया। उक्त डिटेन शुदा आरोपी श्री अजय सिंह को मन् पुलिस निरीक्षक ने अपने नाम व पद का परिचय देकर उसे आने का प्रयोजन बताया तथा उसका नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम अजय सिंह पुत्र स्व. श्री भैरू सिंह जाति गवारिया उम्र 24 साल निवासी पनवाड़ मोड़, अम्बापुरा कॉलोनी ग्राम दोलता तहसील देवली जिला टोंक हाल सहायक कर्मचारी नगर पालिका अटरू जिला बारां (संविदा कर्मी प्लेसमेन्ट ऐजेन्सी मैं. सुमन लैबर कम्पनी कोटा) होना बताया। आरोपी श्री अजय सिंह से मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा पूछा गया कि आप द्वारा दिनांक 27.04.2026 को परिवादी श्री अनिल मीणा से लक्ष्मीपुरा गांव में उसके पिताजी श्री बद्रीलाल जी मीणा के नाम से प्लाट का पट्टा बनवाने की एवज में 60,000/-रूपये रिश्वत राशि मांग कर 50,000/-रूपये लेने के लिए सहमत होकर खर्चे पानी की रिश्वत राशि 50,000/-रूपये श्री पवन को देने की कहा था। जिसकी रिकार्डिंग हमारे पास है। आज दिनांक 29.04.2026 को परिवादी श्री अनिल मीणा द्वारा उक्त रिश्वत राशि आपके कहेनुसार दलाल श्री पवन को दिये है। जो दलाल श्री पवन द्वारा डस्टबिन नुमा डिब्बे में डलवाये है। जिनको अभी एसीबी टीम द्वारा जब्त किया गया है। इस बारे में आपका क्या कहना है। इस पर आरोपी श्री अजय सिंह ने बताया कि अनिल मीणा परसो मेरे पास आया था। जिसने मेरे से कहा कि मैं शनिवार को भी आया था, मेरी पट्टे की फाईल लगी हुई है। मैनें पूछा किस नाम से है तो अनिल मीणा ने बताया गया कि मेरे पिता श्री बद्रीलाल के नाम से लगी हुई है। इस पर मैने उसका खसरा चैक करने के लिए अनिल मीणा द्वारा उसके भाई से लाईव लोकेशन मंगवाई। मैने लाईव लोकेशन के आधार पर खसरा चैक किया। उक्त खसरे की किस्म माल बताया गया। अनिल मीणा ने मुझे बताया कि मुझे लोन भी लेना है, तो मैने बोला कि पट्टा बनाने के लिए 55,000/-रूपये के समथींग रसीद कटेगी। फिर अनिल ने बताया कि मेरे पिताजी ने 50,000/-रूपये तक करने की बोला है। मैने बोला यार इसमें रिस्क रहता है। अधिकारी को भी देखना पड़ता है। ठीक है, मैं पचास तक करवा दूंगा। ऐसा करना, पवन को पैसे दे देना। वह रसीद कटवा देगा। फिर अनिल ने कहां कि आपको दूं या पवन को, तो मैने बोला कि देख लेना, एक ही बात है। इस पर वही मौजूद परिवादी श्री अनिल मीणा ने आरोपी श्री अजय सिंह की बात का खण्डन करते हुये बताया कि श्री अजय सिंह जी झूठ बोल रहे है। मैने मेरे पिताजी के नाम से 13 गुणा 45 फिट साईज के प्लाट का पट्टा बनवाने हेतु फाईल नगर पालिका अटरू में लगाई थी। नगर पालिका द्वारा प्रति वर्ग मीटर शुल्क 100/-रूपये लगता है। मेरे हिसाब से हमारे प्लाट के पट्टे का शुल्क करीब 17,000/-रूपये के समथींग ही लगना चहिए। परन्तु श्री अजय सिंह द्वारा उक्त प्लाट के पट्टा बनवाने की एवज में मेरे से साठ हजार रूपये की मांग की गई। इस पर मेरे हाथा जोड़ी करने पर श्री अजय सिंह ने कहा कि अफसरो को भी मैनेज करना पड़ता है। तु पच्चपन हजार रूपये दे देना। मैने कहां मेरे पिताजी ने पचास हजार रूपये की ही कहा है। इस पर अजय सिंह जी ने कहा कि, ठीक है, तु तेरे हिसाब से एक-दो दिन में पवन जी को दे देना और मैं 09-10 दिन में आपको पट्टा दे दूंगा। इस पर आरोपी श्री अजय सिंह की जामा तलाशी स्वतंत्र गवाह श्री राजेन्द्र गौतम से लिवाई गई तो उसके पास पहने हुये कपड़ो के अलावा कोई वस्तु/राशि इत्यादि नही मिली । परिवादी श्री अनिल मीणा के पेण्डिंग कार्य से सम्बंधित पट्टे की पत्रावली आरोपी श्री अजय सिंह से पेश करने को कहा गया तो उसके द्वारा कहा गया कि मेरे कक्ष मे रखी हुई है, इस पर आरोपी श्री अजय सिंह को श्री गोपाल लाल सउनि के साथ भेजकर नगर पालिका अटरू परिसर में स्थित उसके कक्ष से पट्टे की पत्रावली मंगवाई गई, जिसका अवलोकन कर पत्रावली की फोटोप्रति करवाकर प्रमाणित शुदा पत्रावली प्राप्त की गई। उक्त कार्यवाही की फर्द बरामदगी रिश्वत राशि मुर्तिब कर सम्बंधितो के हस्ताक्षर करवाये गये। समय 06.30 पी.एम. पर मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा परिवादी श्री अनिल मीणा की निषानदेही पर दोनों स्वतंत्र गवाहान श्री राजेन्द्र गौतम व श्री सुभाष चन्द के समक्ष घटनास्थल का नजरी निरीक्षण कर नक्शा मौका घटनास्थल कशीद किया जाकर मूर्तिब किया गया, नक्शा मौका हाजरीन को दिखाया व समझाया गया, जिस पर हाजरीन ने सुन समझ देखकर अपने-अपने हस्ताक्षर किये। मूर्तिबशुदा नक्शा घटनास्थल को शामिल पत्रावली किया गया । समय 07.00 पी.एम. पर दोनो स्वतंत्र गवाहान के समक्ष परिवादी श्री अनिल मीणा एवं आरोपी दलाल श्री पवन पुत्र श्री चोथमल जाति रैगर उम्र 35 साल निवासी जेल कालोनी अटरू जिला बारां के मध्य वक्त रिश्वत लेनदेन के संबंध में आज दिनांक 29.04.2026 को परस्पर कृष्णा कन्स्ट्रक्शन एण्ड इंजिनियर्स शाप नं. 04 नगर पालिका अटरू के पास में हुई वार्तालाप को ब्यूरो कार्यालय के डिजिटल वाइस रिकार्डर IC RECORDER ICD-UX560F SONY CORP. MADE IN CHINA 5V 2386720 मय मेमोरी कार्ड (Sandisk 16 GB microSD HC1) में परिवादी द्वारा उसको एसीबी झालावाड़ द्वारा सुपुर्द डिजिटल वाईस रिकार्डर में रेकार्ड किया गया था। वक्त रिश्वत लेनदेन वार्ता को डिजिटल वाईस रिकार्डर के मेमोरी कार्ड से कार्यालय के लेपटाप में लिया जाकर स्पीकर आन कर वार्ता को सुना गया, वार्तालाप की आवाजो को सुनकर आवाजों की पहचान कर परिवादी द्वारा एक आवाज अपनी व दूसरी आवाज आरोपी दलाल श्री पवन की होना सुनकर पहचान कर बताया। मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा श्री देवदान सिंह कानि0 न0 425 को निर्देश देकर सुन-सुन कर

वार्ताओं की फर्द ट्रांसक्रिप्ट टाईप करवाकर फर्द ट्रासक्रिप्ट वक्त रिश्वत लेनदेन वार्ता तैयार कर संबंधितो के हस्ताक्षर करवाये जाकर शामिल पत्रावली की गई। समय 08.30 पी.एम. पर दोनों स्वतंत्र गवाहान के समक्ष परिवादी श्री अनिल मीणा व आरोपी अजय सिंह पुत्र स्व. श्री भैरू सिंह हाल सहायक कर्मचारी नगर पालिका अटरू जिला बारां (संविदा कर्मी) के मध्य रिश्वत की मांग से संबंधित वार्तालाप दिनांक 27.04.2026 को हुई थी, जिसकी फर्द ट्रांसक्रिप्ट रिश्वत मांग सत्यापन वार्तालाप दिनांक 28.04.2026 को समय 10.15 एएम पर तैयार की गई थी तथा आज दिनांक 29.04.2026 को परिवादी श्री अनिल मीणा व आरोपी दलाल श्री पवन पुत्र श्री चोथमल जाति रैगर निवासी जेल कालोनी अटरू जिला बारां के मध्य रिश्वत लेनदेन से सम्बंधित वार्ता हुई थी जिसकी फर्द ट्रांसक्रिप्ट रिश्वत लेनदेन वार्ता दिनांक 29.04.2026 को समय 07.00 पी.एम पर तैयार की गई थी। उक्त दोनो वार्ताए कार्यालय के डिजिटल वाईस रिकार्डर IC RECORDER ICD-UX560F SONY CORP. MADE IN CHINA 5V 2386720 मय मेमोरी कार्ड (Sandisk 16 GB microSD HC1) में रिकार्डेड थी। उक्त दोनों वार्ताओ को डीवीआर मय मेमोरी कार्ड के कार्यालय के लेपटाप में लगाकर मन् पुलिस निरीक्षक के निर्देषानुसार श्री देवदान सिंह कानि0 नं0 425 के द्वारा लेपटाप में बारी-बारी Sandisk 16 GB के पेनड्राईव लगाकर पांच क्लोनिंग पेनड्राईव तैयार करवाये गये। पांचो पेनड्राईव व मेमोरी कार्ड (Sandisk 16 GB microSD HC1) की पृथक से हेष वेल्यू निकाली गई तो समान पायी गयी। तैयार शुदा पांचो पेनड्राईव में से एक पेनड्राईव आरोपी श्री अजय सिंह (संविदा कर्मी) के लिये, एक पेनड्राईव आरोपी दलाल श्री पवन के लिये, एक पेनड्राईव नमूना आवाज हेतु तथा एक पेनड्राईव माननीय न्यायालय हेतु कपडे़ की थेली में अलग-अलग रखकर चारों पेनड्राईव को सील मोहर किये गये तथा एक पेनड्राईव अनुसंधान अधिकारी हेतु तैयार कर खुला रखा गया तथा डिजिटल वाईस रिकार्डर में लगे हुए मेमोरी कार्ड (Sandisk 16 GB microSD HC1) में रिकार्डेड दोनों वार्ताओं के मेमोरी कार्ड को डिजिटल वाईस रिकार्डर से मूल मेमोरी कार्डस को निकालकर बतोर वजह सबूत माननीय न्यायालय हेतु पृथक से एक कपड़े की थेली में रखकर शिल्डचिट किया गया। फर्द बरामदगी रिश्वत राशि एवं हाथ धुलाई के दौरान श्री शीशराम कानि 126 द्वारा सरकारी मोबाईल से वीडियो रिकार्डिंग करवाई गई थी, मोबाईल मय मेमोरी कार्ड को लेपटाप में कनेक्ट कर Sandisk 16 GB के दो पेनड्राईव तैयार करवाये गये, मेमोरी कार्ड व पेनड्राईव की पृथक-पृथक हैस वैल्यू निकाली गई तो समान पाई गई। जिसमें से एक पेनड्राईव माननीय न्यायालय के लिये व एक पेनड्राईव अनुसंधान अधिकारी हेतु कपडे़ की थेली में अलग-अलग रखकर सील मोहर किया गया तथा मूल मेमोरी कार्ड को मोबाईल से निकालकर माननीय न्यायालय हेतु एक कपडे़ की थैली में रखकर सील मोहर किया गया। उक्त कार्यवाही की फर्द पेन ड्राईव क्लोनिंग एवं जब्ती मैमोरी कार्ड एवं पेनड्राईव पृथक से मुर्तिब कर संबंधितो के हस्ताक्षर करवाकर शामिल पत्रावली की गयी। समय 09.25 पी.एम. पर दोनो स्वतंत्र गवाहान के समक्ष आरोपी दलाल श्री पवन पुत्र श्री चोथमल जाति रैगर उम्र 35 वर्ष निवासी जेल कालोनी अटरू जिला बारां को उसके संवैधानिक अधिकारों से अवगत करवाकर मन् पुलिस निरीक्षक ने आरोपी दलाल को बताया कि आज दिनांक 29.04.2026 को परिवादी श्री अनिल मीणा द्वारा कृष्णा कन्स्ट्रक्शन एण्ड इंजिनियर्स, शाप नम्बर 04 नगरपालिका अटरू के पास वक्त रिश्वत लेनदेन के समय आपकी वार्ता हुई है, उक्त वार्ता को परिवादी श्री अनिल मीणा द्वारा उसको एसीबी झालावाड़ द्वारा सुपुर्द किये गये डिजिटल वाईस रिकार्डर/मैमोरी कार्ड में रिकार्ड किया है। जिसमें आपकी रिकार्डशुदा आवाज का विधि विज्ञान प्रयोगशाला से परीक्षण करवाया जाना है जिसके लिये आप अपनी आवाज का नमूना उपलब्ध करवाने हेतु आरोपिया को जरिये फर्द प्राप्ति नमूना आवाज नोटिस दिया गया तो, आरोपी दलाल श्री पवन ने फर्द पर ही स्वयं के हस्तलेख में लिखकर दिया कि ‘‘मैं अपनी आवाज नमूना परीक्षण नहीं करवाना चाहता‘‘ अंकित कर हस्ताक्षर किये। उक्त कार्यवाही की फर्द प्राप्ति नमूना आवाज नोटिस तैयार शुदा पर संबंधितो के हस्ताक्षर करवाये जाकर शामिल पत्रावली किया गया। समय 09.35 पी.एम. पर दोनो स्वतंत्र गवाहान के समक्ष आरोपी श्री अजय सिंह पुत्र स्व. श्री भैरू सिंह जाति गवारिया उम्र 24 साल निवासी पनवाड़ मोड़, अम्बापुरा का ॅलोनी ग्राम दोलता तहसील देवली जिला टोंक हाल सहायक कर्मचारी नगर पालिका अटरू जिला बारां (संविदा कर्मी प्लेसमेन्ट ऐजेन्सी मैं. सुमन लैबर कम्पनी कोटा) को उसके संवैधानिक अधिकारों से अवगत करवाकर मन् पुलिस निरीक्षक ने आरोपी को बताया कि दिनांक 27.04.2026 को परिवादी श्री अनिल मीणा द्वारा आपके कक्ष भूमि षाखा नगरपालिका अटरू में रिश्वत मांग सत्यापन के समय आपकी वार्ता हुई है, उक्त वार्ता को परिवादी श्री अनिल मीणा द्वारा उसको एसीबी झालावाड़ द्वारा सुपुर्द किये गये डिजिटल वाईस रिकार्डर/मैमोरी कार्ड में रिकार्ड किया है। जिसमें आपकी रिकार्डशुदा आवाज का विधि विज्ञान प्रयोगशाला से परीक्षण करवाया जाना है जिसके लिये आप अपनी आवाज का नमूना उपलब्ध करवाने हेतु आरोपी श्री अजय सिंह को जरिये फर्द प्राप्ति नमूना आवाज नोटिस दिया गया तो, आरोपी ने फर्द पर ही स्वयं के हस्तलेख में लिखकर दिया कि ‘‘मैं अपनी आवाज नमूना नहीं देना चाहता हूं‘‘ अंकित कर हस्ताक्षर किये। उक्त कार्यवाही की फर्द प्राप्ति नमूना आवाज नोटिस तैयार शुदा पर संबंधितो के हस्ताक्षर करवाये जाकर शामिल पत्रावली किया गया। समय 10.45 पी.एम. पर दोनों गवाहान के समक्ष आरोपी दलाल श्री पवन पुत्र श्री चोथमल जाति रैगर उम्र 35 वर्ष निवासी जेल का ॅलोनी अटरू जिला बारां मो.न. द्वारा आरोपी श्री अजय सिंह सहायक कर्मचारी नगर पालिका अटरू जिला बारां (संविदा कर्मी) के कहेनुसार परिवादी श्री अनिल मीणा से उसके पिता के नाम से प्लाट का पट्टा जारी करवाने की एवज में 50,000/-रूपये रिश्वत राशि डस्टबिन नुमा डिब्बे में डलवाना, आरोपी श्री अजय सिंह का रिश्वत

राशि प्राप्त करने में सहयोग करना जुर्म धारा 7, 7ए पीसी एक्ट 1988 (यथा संशोधित 2018) एवं 61(2) बीएनएस 2023 के तहत दंडनीय अपराध होने से आरोपी दलाल श्री पवन को जुर्म से आगाह कर धारा 35 बीएनएसएस के प्रावधानों के अनुसार आरोपी दलाल को संज्ञेय व अजमानतीय अपराध में समुचित अन्वेषण के लिये इस अपराध के साक्ष्यों को मिटाने या साक्ष्य से किसी ढंग से छेड़छाड़ करने एवं इस अपराध के साक्ष्यो को मिटाने एवं इस अपराध के साक्षीगणों को प्रलोभन, धमकी अथवा आश्वासन देने से निवारित करने लिये गिरफ्तार किया जाकर माननीय न्यायालय में पेश किया जाना आवश्यक है। अतः आरोपी दलाल श्री पवन को गिरफ्तारी के कारणों एवं आधारो की पूर्ण सूचना दी जाकर उसके संवैधानिक अधिकारों की पूर्ण पालना करते हुये जरिये फर्द गिरफ्तार किया गया। आरोपी दलाल श्री पवन की जामा तलाशी स्वतंत्र गवाह श्री राजेन्द्र गौतम से लिवाई गई तो आरोपी दलाल के पास कोई आपतिजनक सामग्री या राशि नही मिली। आरोपी दलाल की गिरफ्तारी की सूचना घटनारथल पर उपस्थित उनके पिता श्री चैथमल जी को दी गयी तथा जामा तलाशी के दौरान मिली राशि 1000 रूपये, आधार कार्ड, मोबाईल इत्यादि इनके पिता श्री चैथमल को सम्भलाये गये। किसी प्रकार की वस्तु राशि इत्यादि एसीबी द्वारा जब्त नही की गई। उक्त कार्यवाही की फर्द गिरफ्तारी पृथक से मुर्तिब कर संबंधितो के हस्ताक्षर करवाकर शामिल पत्रावली की गयी। समय 11.00 पी.एम. पर दोनों गवाहान के समक्ष आरोपी श्री अजय सिंह पुत्र स्व. श्री भैरू सिंह जाति गवारिया उम्र 24 साल निवासी पनवाड़ मोड़, अम्बापुरा कालोनी ग्राम दोलता तहसील देवली जिला टोंक हाल सहायक कर्मचारी नगर पालिका अटरू जिला बारां (संविदा कर्मी प्लेसमेन्ट ऐजेन्सी मैं. सुमन लैबर कम्पनी कोटा) द्वारा परिवादी श्री अनिल मीणा से दिनांक 27.04.2026 को परिवादी के पिता के नाम से गांव लक्ष्मीपुरा में प्लाॅट का पट्टा जारी करवाने की एवज में 60,000/-रूपये रिश्वत राशि की मांग करना तथा परिवादी के हाथा जोड़ी करने पर 50,000/-रूपये रिश्वत राशि लेने के लिए सहमत होना एवं रिश्वत राशि आरोपी दलाल श्री पवन को देने की कहना जिसके क्रम में आज 50,000/-रूपये रिश्वत राशि आरोपी दलाल ने डस्टबिन नुमा डिब्बे में डलवाना, जहां से रिश्वत राशि को बरामद करना, जुर्म धारा 7, 7ए पीसी एक्ट 1988 (यथा संशोधित 2018) एवं 61(2) बीएनएस 2023 के तहत दंडनीय अपराध होने से आरोपी श्री अजय सिंह को जुर्म से आगाह कर धारा 35 बीएनएसएस के प्रावधानों के अनुसार आरोपी को संज्ञेय व अजमानतीय अपराध में समुचित अन्वेषण के लिये इस अपराध के साक्ष्यों को मिटाने या साक्ष्य से किसी ढंग से छेड़छाड़ करने एवं इस अपराध के साक्ष्यो को मिटाने एवं इस अपराध के साक्षीगणों को प्रलोभन, धमकी अथवा आश्वासन देने से निवारित करने लिये गिरफ्तार किया जाकर माननीय न्यायालय में पेश किया जाना आवश्यक है। अतः आरोपी श्री अजय सिंह को गिरफ्तारी के कारणों एवं आधारो की पूर्ण सूचना दी जाकर उसके संवैधानिक अधिकारों की पूर्ण पालना करते हुये जरिये फर्द गिरफ्तार किया गया। आरोपी की जामा तलाशी स्वतंत्र गवाह श्री राजेन्द्र गौतम से लिवाई गई तो आरोपी के पास कोई आपतिजनक सामग्री या राशि नही मिली। आरोपी की गिरफ्तारी की सूचना उसके कहेनुसार सगे बडे भाई बंटी को जरिये मोबाईल नं. पर दी गयी। उक्त कार्यवाही की फर्द गिरफ्तारी पृथक से मुर्तिब कर संबंधितो के हस्ताक्षर करवाकर शामिल पत्रावली की गयी। समय 11.30 पी.एम. पर ट्रेप कार्यवाही सम्पूर्ण होने पर परिवादी अनिल मीणा को मोके से ही रूकसत कर मन् पुलिस निरीक्षक मय दोनो स्वतन्त्र गवाहान, ब्यूरो स्टाफ मय गिरफ्तार शुदा आरोपीगण श्री अजय सिंह (संविदा कर्मी) व दलाल श्री पवन को साथ लेकर ट्रेप कार्यवाही के दौरान मौके से बरामद शुदा रिश्वत राशि का लिफाफा तथा धोवन के सैम्पल, आर्टिकल्स इत्यादि लेकर साथ लाये सरकारी व प्राईवेट वाहनो से कार्यालय एसीबी चोकी झालावाड़ के लिए रवाना हुआ। दिनांक 30.04.2026 समय 01.50 ए.एम. पर मन् पुलिस निरीक्षक मय दोनो स्वतन्त्र गवाहान, ब्यूरो स्टाफ मय गिरफ्तार शुदा आरोपीगण श्री अजय सिंह (संविदा कर्मी) व दलाल श्री पवन व ट्रेप कार्यवाही के दौरान मौके से बरामद शुदा रिश्वत राशि का लिफाफा तथा धोवन के सैम्पल, आर्टिकल्स इत्यादि के अपने-अपने सरकारी व प्राईवेट वाहनो से कार्यालय एसीबी चोकी झालावाड़ पहुंचा। मालखाना प्रभारी श्री गोपाल लाल सउनि जब्त शुदा रिश्वत राशि का लिफाफा, धोवन के सेम्पल, आर्टिकल्स इत्यादि सुपुर्द कर मालखाना रजिस्टर में इंद्राज करवाकर सुरक्षित मालखाना जमा करवाये गये। स्वतंत्र गवाहान को रूखसत किया गया। सम्पूर्ण ट्रेप कार्यवाही व हालात से पाया गया कि दिनांक 27.04.2026 को परिवादी श्री अनिल पुत्र श्री बद्रीलाल जाति मीणा उम्र 23 वर्ष निवासी लक्ष्मीपुरा नगर पालिका व थाना अटरू जिला बारां द्वारा जरिये दुरभाष मन् पुलिस निरीक्षक को अवगत करवाया कि ‘‘मेरा गांव नगरपालिका अटरू की सीमा में आता है, मैने मेरे पिताजी श्री बद्रीलाल जी मीणा के नाम से लक्ष्मीपुरा गांव में प्लाट का पट्टा बनवाने के लिए नगर पालिका अटरू में आवेदन कर रखा है। आवेदन के बाद में जब नगर पालिका अटरू के बाऊजी श्री अजय सिंह से मिला तो उन्होने बताया कि तेरे पिताजी का पट्टा बन जायेगा, लेकिन तुझे खर्चा पानी के 60 हजार रूपये देने पडेगें। इस प्रकार अटरू नगर पालिका के बाऊजी जो कि जेईएन का काम भी देखते है, मुझसे 60 हजार रूपये की रिश्वत मांग रहे है, मैं उनको रिश्वत के 60,000/- रूपये नही देना चाहता हूं उनको रिश्वत लेते हुये रंगे हाथो पकडवाना चाहता हूं। मेरी उनसे कोई रंजिश नही है, ना ही उधारी का लेन देन बकाया है। मेरी रिपोर्ट पर कार्यवाही करें।‘‘ इस पर उसी दिन श्री देवदान सिंह कानि 425 को डीवीआर सुपुर्द कर अटरू परिवादी श्री अनिल मीणा के पास भिजवाकर रिश्वत मांग का गोपनीय सत्यापन करवाकर परिवादी द्वारा हस्तलिखित प्रार्थना पत्र मंगवाया गया। रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता में आरोपी श्री अजय सिंह (संविदा कर्मी) नगर पालिका अटरू द्वारा परिवादी के पिता श्री बद्रीलाल के नाम से गांव लक्ष्मीपुरा में प्लाट

का पट्टा बनवाने की एवज में 60,000/-रूपये रिश्वत राशि की मांग की गई। परिवादी द्वारा हाथा जोड़ी करने पर आरोपी श्री अजय सिंह 50,000/-रूपये रिश्वत राशि लेने पर सहमत हुआ तथा आरोपी श्री अजय सिंह द्वारा रिश्वत राशि एक-दो दिन में दलाल श्री पवन को देने की कहा गया था। फर्द ट्रांसक्रिप्ट रिश्वत मांग सत्यापन में आरोपी द्वारा पचास हजार रूपये रिश्वत मांगने की पुष्टि होने पर आज दिनांक 29.04.2026 को ट्रेप कार्यवाही का आयोजन कर आरोपी श्री अजय सिंह (संविदा कर्मी) के कहेनुसार परिवादी द्वारा रिश्वत राशि 50,000/-रूपये नगर पालिका अटरू के पास कृष्णा कन्स्ट्रक्शन इंजिनियर्स शाप नम्बर 04 में बैठने वाले प्राईवेट व्यक्ति दलाल श्री पवन को देना चाहा तो आरोपी दलाल श्री पवन ने परिवादी श्री अनिल मीणा से कहा कि मुझे तो अजय सिंह ने 60,000/-रूपये देने की कहा था तो परिवादी ने दलाल पवन से कहा कि मैनें अजय सिंह जी से 50,000/-रूपये देने की कहा था जो 50,000/-रूपये लेने के लिए सहमत हो गये थे तथा उक्त रूपये आपको देने के लिए बोला था। इस पर दलाल श्री पवन ने उक्त रिश्वत राशि 50,000/-रूपये को कृष्णा कन्स्ट्रक्शन इंजिनियर्स शाप नम्बर 04 के अन्दर परदे के पीछे रखे डस्टबिन नुमा डिब्बे में डालने के लिए कहा। जिस पर परिवादी श्री अनिल मीणा ने उक्त रिश्वत राशि 50,000/-रूपये डस्टबिन नुमा डिब्बे में डाल दी, जिसको एसीबी टीम द्वारा स्वतंत्र गवाहान के समक्ष बरामद किया गया, जो रिश्वत लेनदेन ट्रांसक्रिप्ट वार्ता से साबित है। रिश्वत राशि बरामदगी स्थल डस्टबिन में रखी प्लास्टिक शीट का धोवन लेने पर हल्का गुलाबी प्राप्त हुआ। आरोपी दलाल श्री पवन के दोनो हाथों का धोवन लेने पर धोवन का रंग मटमैला प्राप्त हुआ। इस प्रकार परिवादी द्वारा उसके पिता श्री बद्रीलाल के नाम से गांव लक्ष्मीपुरा में 13 गुणा 45 फिट साईज के प्लाट का पट्टा बनवाने हेतु फाईल नगर पालिका अटरू जिला बारां में लगाई थी। परिवादी श्री अनिल मीणा के कहेनुसार नगरपालिका द्वारा पट्टा जारी करने में प्रति वर्ग मीटर शुल्क 100रूपये लगता है। इस हिसाब से पट्टे का शुल्क करीब 17,000 के समथींग होना चहिए परन्तु आरोपी श्री अजय सिंह द्वारा परिवादी से उक्त प्लाॅट का पट्टा बनवाने की एवज में 60,000/-रूपये रिश्वत राशि मांग कर 50,000/-रूपये रिश्वत लेने के लिए सहमत होना एवं रिश्वत राशि दलाल श्री पवन को दिलवाना तथा आरोपी दलाल द्वारा परिवादी से रिश्वत राशि डस्टबिन में डलवाकर प्राप्त करना, जिसको एसीबी टीम द्वारा डस्टबिन से बरामद करना। आरोपी अजय सिंह द्वारा रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता के समय परिवादी से कहा गया है कि हर अधिकारी को मैनेज करना होता है। जिससे नगर पालिका अटरू में लगे हुये अधिकारी एवं कर्मचारियों की भूमिका भी संदेह के घेरे में आती है। जिस पर विस्तृत अनुसंधान किया जाना आवश्यक है। आरोपीगण के उक्त कृत्य पर श्री अजय सिंह (संविदा कर्मी) व प्राईवेट व्यक्ति दलाल श्री पवन को पृथक-पृथक नमूना आवाज नोटिस दिया गया। रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता दिनांक 27.04.2026, व वक्त रिश्वत लेनदेन वार्ता दिनांक 29.04.2026, फर्द बरामदगी दिनांक 29.04.2026 व समस्त उपरोक्त कार्यवाही से आरोपीगण श्री अजय सिंह (संविदा कर्मी) व प्राईवेट व्यक्ति दलाल श्री पवन के विरूद्ध जुर्म धारा 7, 7ए भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संषोधित 2018) व 61(2) बीएनएस 2023 का अपराध प्रमाणित पाया जाने पर नियमानुसार पृथक-पृथक गिरफ्तार किया गया।अतः आरोपीगण श्री अजय सिंह पुत्र स्व. श्री भैरू सिंह जाति गवारिया उम्र 24 साल निवासी पनवाड़ मोड़, अम्बापुरा कालोनी ग्राम दोलता तहसील देवली जिला टोंक हाल सहायक कर्मचारी नगर पालिका अटरू जिला बारां (संविदा कर्मी प्लेसमेन्ट ऐजेन्सी मैं. सुमन लैबर कम्पनी कोटा) व आरोपी दलाल श्री पवन पुत्र श्री चोथमल जाति रैगर उम्र 35 वर्ष निवासी जेल कालोनी अटरू जिला बारां के विरूद्ध जुर्म अन्तर्गत धारा 7, 7ए भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) व 61(2) बीएनएस 2023 का अपराध प्रमाणित होना पाया जाने पर उक्त आरोपीगण के विरूद्ध उपरोक्त धारा में बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट तैयार की जाकर वास्ते क्रमांकन हेतु श्रीमान महानिदेशक सी0पी0एस0 भ्रनिब्यूरो जयपुर की सेवा मे सादर प्रेषित है।भवदीय (साजिद खान) पुलिस निरीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो झालावाड़............कार्यवाही पुलिस..........प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईपशुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री साजिद खान, पुलिस निरीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, झालावाड ने प्रेषित की है मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7, 7ए भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) व धारा 61(2) बी.एन.एस. 2023) में आरोपीगण 1- श्री अजय सिंह पुत्र स्व. श्री भैरू सिंह जाति गवारिया उम्र 24 साल, निवासी पनवाड मोड अम्बापुरा कॉलोनी ग्राम दोलता तहसील देवली जिला टोंक हाल सहायक कर्मचारी नगर पालिका अटरू जिला बांरा (संविदा कर्मि प्लेसमेन्ट ऐजेन्सी मैं. सुमन लैबर कम्पनी कोटा) 2- श्री पवन पुत्र श्री चोथमल जाति रैगर, उम्र 35 साल, निवासी जेल कॉलोनी अटरू जिला बांरा (प्राईवेट व्यक्ति) के विरूद्ध पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियां नियमानुसार जारी की गई। उक्त प्रकरण में अनुसंधान अधिकारी श्रीमती चन्द्रकंवर, पुलिस निरीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, इन्टे. कोटा को मनोनित किया गया है। उक्त की रोजनामचाआम 624 पर अंकित है। (पीयूष दीक्षित) पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर। क्रमांक 697-700 दिनांक 01.05.2026 प्रतिलिपि सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः-1- विशिष्ठ न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, बारां 2- उप महानिरीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, रेंज कोटा 3- मै. सुमन लेबर कान्ट्रेक्टर, कोटा 4- अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, झालावाड । पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर।

13. Action taken : Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.
(की गई कार्यवाही: चूँकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता हैं कि अपराध करने का तरीका मद सं.2 में उल्लेख धारा के तहत हैं):

(1) **Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जाँच के लिए लिया गया):**

or (या)

(2) **Directed (Name of I.O.): (जाँच अधिकारी का नाम):** Chandra Kanwar Tanwar **Rank (पद):** निरीक्षक

No(सं.): **to take up the Investigation (को जाँच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or(या)**

(3) **Refused investigation due to (जाँच के लिए) :**

or (के कारण इंकार किया, या)

(4) **Transferred to P.S.(थाना):** **District (जिला):**

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित) .

F.I.R.read over to the complainant/informant,admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant/informant free of cost.

(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गई, सही दर्ज हुई माना और एक प्रति निःशुल्क शिकायतकर्ता को दी गई|)

R.O.A.C.(आर.ओ.ए.सी.)

14. **Signature/Thumb impression of the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):**

Signature of Officer in charge, Police Station (थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Signed by: Piyush Dixit
Location: Rajasthan,IN
Date: 01/05/2026 17:29:02

Name(नाम): PIYUSH DIXIT

Rank (पद): SP (Superintendant of Police)

No(सं.):

15. **Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):**

Attachment to item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused:(If known/seen)
(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण :(यदि ज्ञात / देखा गया))

S.No.(क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)	Build (बनावट)	Height(cms.) (कद(से.मी))	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह)
1	2	3	4	5	6	7
1	Male	2002				
2	Male	1991				

Deformities/ Peculiarities (विकृतियाँ/ विशिष्टताएँ)	Teeth (दाँत)	Hair (बाल)	Eyes (आँखें)	Habit(s) (आदतें)	Dress Habit(s) (पहनावा)
8	9	10	11	12	13

Language /Dialect (भाषा /बोली)	Place Of(का स्थान)					Others (अन्य)
	Burn Mark (जले हुए का निशान)	Leucoderma (धवल रोग)	Mole (मस्सा)	Scar (घाव)	Tattoo (गूदे हुए का)	
14	15	16	17	18	19	20

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.
(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है |)